## <u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 640 / 12</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 04 / 12 / 12</u> फाईलिंग नं. 233504002012012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

#### वि रू द्व

सुरेश पिता नारायण, उम्र 24 वर्ष निवासी लालावाड़ी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

## <u>-: ( नि र्ण य ) :-</u>

## (आज दिनांक 04.08.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 04. 12.2012 को समय 08:45 बजे या उसके लगभग बस स्टेंड लालावाड़ी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 04.12. 2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि लालावाड़ी बस स्टेंड पर एक व्यक्ति हाथ में लोहे की छुरी लिए आने जाने वालों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एफ रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे एक व्यक्ति अवैध रूप से छुरी लिए लहराते हुए मिला जिसे उसने हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा जिसने अपना नाम सुरेश पिता नारायण बताया तथा शस्त्र रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 360 / 12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के

तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

#### 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.12.2012 को समय 08:45 बजे या उसके लगभग बस स्टेंड लालावाड़ी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

# ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 आर.के. दुबे (अ.सा.−1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 04.12. 2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए करबा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ ग्राम लालावाड़ी बस स्टेंड पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री−2) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री−3) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 360 / 12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री−4) लेख की थी। साक्षी ने रवानगी सान्हा (प्रदर्श पी−1) एवं वापसी सान्हा (प्रदर्श पी−2) को प्रमाणित किया है तथा आर्टिकल ए1 को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।
- 6 हमराह साक्षी योगेश (अ.सा.—2) एवं जाकिर खान (अ.सा.—3) ने दिनांक 04.12.2012 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को टीआई साहब को भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर टीआई साहब के साथ लालावाड़ी बस स्टेंड जाना, जहां अभियुक्त का हाथ में छुरी लिए डराते धमकाते मिलना जिसे घेराबंदी कर पकड़ने पर उससे पूछताछ

करने पर लायसेंस न होना बताये जाने पर टीआई साहब द्वारा अभियुक्त से मौके पर छुरी जप्त करना एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाने लेकर आना प्रकट किया है।

- 7 प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी विजय एवं मुकेश को अदम पता घोषित किया गया है। अभिलेख पर मात्र आर.के. दुबे (अ.सा.—1), योगेश (अ.सा.—2) एवं जािकर खान (अ.सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- 8 आर.के. दुबे (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर मौके पर जाना, अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर उसे गिरफतार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। योगेश (अ. सा.—2) एवं जाकिर खान (अ.सा.—3) ने साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि वे करबा भ्रमण के दौरान टीआई के साथ मौके पर पहुंचे थे जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लहराते हुए मिला था जिससे लोहे की छुरी मौके पर जप्त की गयी थी।
- 9 प्रतिपरीक्षण में साक्षी योगेश (अ.सा.—2) एवं जािकर खान (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि वे घटना दिनांक को थाने के वाहन से टीआई साहब के साथ मौके पर पहुंचे थे। मौके पर अभियुक्त लोहे की छुरी लहराते हुए मिला था। साक्षीगण ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि मौके पर टीआई साहब ने अभियुक्त से जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की थी। आर.के. दुबे (अ. सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह मौके पर शासकीय वाहन से गया था। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त के विरूद्ध लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट की गयी थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्त से लोहे की छुरी भी जप्त नहीं की गयी थी।
- 10 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—2) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—3) पर अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। विवेचक साक्षी आर.के. दुबे (अ.सा.—1) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उनके द्वारा मौके पर जप्तशुदा आयुध की नापजोप की गयी हो और न ही यह प्रकट हो रहा है कि किससे की गयी। साथ ही जप्तशुदा आयुध के धारदार होने के संबंध में भी साक्षी ने कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। किसी भी

स्वतंत्र साक्षी ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। विवेचक साक्षी के कथनों से जप्तशुदा आयुध की नापजोप एवं धारदार होने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी प्रकट नहीं हुआ है। तब इन परिस्थितियों में जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

- 11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 04.12.2012 को समय 08:45 बजे या उसके लगभग बस स्टेंड लालावाड़ी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त सुरेश को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)